**दिनांक 20 - 24 फरवरी 2023 तक दुबई, यूएई में आयोजित " गल्फूड 2023" में भारतीय पवेलियन की डिज़ाइनिंग एवं निर्माण-कार्य हेतु बोलियों की प्रस्तुति के लिए विवरण**

**सीपीपीपी पोर्टल निविदा आईडी:**
**जेम पोर्टल निविदा आईडी:**

**13.12.2022**

**1. आवश्यकताएं**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा गल्फूड 2023 कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई जा रही है एवं भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए स्वयं का पवेलियन स्थापित किया जा रहा है। गल्फूड 2023 कार्यक्रम दिनांक **20 फरवरी से 24 फरवरी 2023** तक दुबई, यूएई (तत्पश्चात "इवेंट/आयोजन" के रूप में संदर्भित) में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के लिए भारतीय पवेलियन का कुल क्षेत्र लगभग **594 वर्ग मीटर** है (पवेलियन का लेआउट संलग्न है)।

**2. बोलियां प्रस्तुत करने की पात्रता**

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता वाली एजेंसियों को टर्नकी आधार पर कार्यक्रम के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

i. एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई/सेवा प्रदाता होना चाहिए। टीएएन/प्रत्यक्ष कर/आयकर/व्यापार कर/वैट/जीएसटी आदि की पंजीकरण सं., जैसा लागू हो, तकनीकी बोली प्रारूप में कोट किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
ii. भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पवेलियन/ पवेलियनों की स्थापना के लिए टर्नकी आधार पर परियोजनाओं की अवधारणा, डिजाइन व निष्पादन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
iii. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पवेलियन से संबंधित कार्यक्रम प्रबंधन व्यवसाय के कार्यान्वयन के लिए विगत वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 के दौरान न्यूनतम 5,00,00,000/- रु. (पांच करोड़ रुपये मात्र) का टर्नओवर हो।
iv. एजेंसी को न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए कम से कम एक विदेशी कार्यक्रम का निष्पादन किया हुआ होना चाहिए। तीन वर्षों अर्थात 2016-

17, 2017-18 या 2018-19 में में से किसी में।

v. नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी जमा करना बोली के लिए आवश्यक है जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को छूट निविदा दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी "छूट प्रमाण पत्र" की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन लागू होगी।

vi. एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।

**3. कार्य-क्षेत्र**

प्रस्तावित एपीडा पवेलियन को सामान्य क्षेत्र और प्रतिभागी के क्षेत्र सहित लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:

**I. थीम / सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉल को छोड़कर):**

- थीम क्षेत्र लगभग 36 वर्ग मीटर। क्षेत्र को लकड़ी के फर्श से अलग किया जाए।
- ग्लास, एक्रिलिक या लाइक्रा सामग्री पर बैकलिट कोलाज के बैकड्रॉप के साथ एक रिसेप्शन।
- एपीडा के लिए एक बैठक लाउंज पूरी तरह से ग्लास/एक्रिलिक या समकक्ष सामग्री से ढका हो।
- चाय/कॉफी, पीने के पानी, माइक्रोवेव ओवन , रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र आदि के प्रावधान के साथ पेंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र हो।
- सामान्य क्षेत्र में दस बैक लिट ग्राफिक पैनल कम से कम 6”X3” फीट साइज का हो।
- पवेलियन/स्टॉल के निर्माण की आगे की शर्तों, स्टॉल की ऊंचाई आदि के लिए आप www.gulfood.com का संदर्भ ले सकते हैं।
- पवेलियन को पर्याप्त सफेद लाइट से रोशन किया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न दिख सके।
- प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद रेडी टू ईट फूड /करी, ताजे और फ्रोज़न फल और सब्जियां और उनका निर्माण-कार्य , चटनी, अचार, खीरा, वाइन, बाजरा और इसके उत्पाद आदि हैं।
- केंद्रित विषय अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष हो।

## II. ब्रांडिंग

- आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार बैकलिट ब्रांडिंग और भारतीय पवेलियन की अधिकतम ऊंचाई से दृश्यता।
- एपीडा पवेलियन का समग्र रूप समकालीन होगा और आधुनिक भारतीय संस्कृति और उसकी जीवंतता को प्रतिबिंबित करेगा। अलग-अलग अक्षरों में **भारत** की उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग पर्याप्त रूप से न्यूनतम 3 मीटर लंबाई **(26)** में की जाएगी और इसका पालन पूरे क्षेत्र में किया जाएगा।
- जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होगी ताकि फाइनल गेट अप में रिंकल्स न पड़ें। सामान्य ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार-सफेद लाइट होगी।
- एपीडा पवेलियन में भारत की जी-20 अध्यक्षता लोगो दिखाई देना चाहिए।

## III. वेट सैम्पलिंग क्षेत्र

- 9 वर्ग मीटर क्षेत्र का उपयोग बाजरा आधारित उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों वेट सैम्पलिंग के लिए किया जाएगा और इसमें प्रदर्शन काउंटर, शेल्व्स, माइक्रोवेव ओवन आदि होंगे।

## IV. प्रदर्शक स्टॉल:

- सभी व्यक्तिगत स्टॉल लकड़ी के होने चाहिए, और भारत ब्रांडिंग आयोजकों द्वारा अनुमत ऊंचाई तक होनी चाहिए और इसे एक आधुनिक समकालीन रूप देना चाहिए।
- फर्नीचर की आवश्यकता सहित निर्यातकों के लिए खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत करने के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एपीडा पवेलियन में न्यूनतम 9 वर्ग मीटर और 12 वर्ग मीटर स्टॉल का निर्माण। हालांकि ये सांकेतिक आंकड़े हैं, लेआउट की योजना इस तरह से बनाई जा सकती है कि अधिकतम 9 वर्ग मीटर स्टॉल और स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके। 12/9 वर्ग मीटर के प्रत्येक स्टॉल पर बैक लिट वाला अलग-अलग फेसिया, चार कुर्सियाँ, एक मेज, एक अवशिष्ट कागज की टोकरी, 6 डिस्प्ले शेल्फ, भंडारण के साथ एक लॉक करने योग्य काउंटर और प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जाएंगी।
- संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 12/9 वर्ग मीटर स्टाल के लिए 3'X 6' आकार के कुल 18 वर्ग फुट के 3 पैनल पोस्टर तैयार करना। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आकार में समान होंगे और प्रिंटिंग की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

**IV अन्य गतिविधियां:**

- कार्यक्रम के दौरान सभी दिनों के लिए भारतीय वेशभूषा में 4 परिचारिका सह दुभाषिया और 2 पुरुष परिचारिक का प्रावधान किया जाएगा।
- बाजरा आधारित उत्पादों की वेट सैम्पलिंग के लिए, बाजरा आधारित व्यंजन तैयार करने और परोसने के लिए एक भारतीय रेस्तरां को मान्यता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त रेस्तरां को बाजरा आधारित व्यंजन तैयार करने, उनकी क्रॉकरी में प्रदर्शनी स्थल पर परिवहन और वितरण करने, परिचारकों को परोसने और आवश्यक सामग्री जैसे डिस्पोजेबल प्लेट, नैपकिन और चम्मच आदि की आपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है।
- उद्घाटन के दिन वीआईपी दौरे के लिए विक्रेता द्वारा 5 गुलदस्ते की व्यवस्था की जाए और एपीडा के निर्देशानुसार उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए।
- एजेंसी को अनुमानित बिजली भार का आकलन करना होगा और एपीडा की ओर से बुक करना होगा। सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर उक्त के लिए शुल्क और बिजली की खपत का भुगतान वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- प्रत्येक दिन की शुरुआत से पहले रख-रखाव, उचित और नियमित सफाई के साथ लैंडस्केपिंग और दोनों हॉल में एपीडा पवेलियन की अग्नि सुरक्षा का दायित्व पूरा किया जाए।
- एपीडा द्वारा अनुमोदन पर गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्मृति चिन्ह (लगभग 20 और रु. प्रत्येक लगभग 2500/-) की व्यवस्था की जाए।

**4. सामान्य**

- चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है। चयनित बोलीदाता आयोजन के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।
- बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति और अन्य समर्थन प्रणाली आदि कार्यक्रम आयोजकों की अनुशंसाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे। तद्नुसार, उपरोक्त प्रावधानों की चयनित बोलीदाता द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होगी।

**5. नियम एवं शर्तें**

5.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

5.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

5.3 पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

5.4 एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

5.5 एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिनों के लिए होगी।

5.6 एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।

5.7 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.8 एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

5.9 एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।

5.10 एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नई और गुणवत्तापूर्ण कालीन उपलब्ध कराएगी।

5.11 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रस्तुति के समय

दिखाई और प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.12 एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।

5.13 संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर समरूपता बनाए रखने के लिए आयामों में समान होंगे।

5.14 वेंडर को अंतिम भुगतान के निपटान से पहले एपीडा में एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ पवेलियन के अंतिम डिजाइन, एपीडा के लिए तैयार पैनल की सॉफ्ट कॉपी (सीडीआर प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में) प्रस्तुत करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

5.15 **एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:**

- पवेलियन एवं ग्राफिक्स के डिजाइन का कॉपी राइट।
- डिजाइन योजना में कुछ बदलाव करना।
- अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**5.16** इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, एपीडा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों अर्थात एजेंसी और एपीडा के लिए बाध्यकारी होगा।

**6. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश**

अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को कार्यक्रम के नाम अर्थात, दिनांक 20 से 24 फरवरी 2022 तक दुबई, यूएई में आयोजित गल्फूड 2023 का उल्लेख करते हुए **03 जनवरी 2023 को सायं 5:30 बजे** तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। एजेंसियां कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। बोली पूर्व बैठक 19 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे एपीडा, नई दिल्ली में होगी।

**कवर 1:**

**तकनीकी बोली:**

**निम्नलिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें**:

**(अनुलग्नक 'I')**

| | |
|---|---|
| एजेंसी का नाम | |
| पता | |
| मुख्य कार्यकारी का नाम व पदनाम | |
| संबंधित व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण | |
| पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी का प्रोफाइल | |
| ट्रैक रिकॉर्ड - समान प्रकृति के कार्य को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें)। कंपनी के पास कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पवेलियन (विज्ञापन और मुद्रण को छोड़कर) में इवेंट मैनेजमेंट में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। | |
| पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक एजेंसी के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। | |
| पिछले 5 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और पैन कार्ड, जीएसटी और संबंधित | |

| | |
|---|---|
| कर दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए। | |
| एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में ड्राफ्ट/अप्रतिसंहरणीय और सशर्त बैंक गारंटी के रूप में 2,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के लिए ब्याज मुक्त बयाना जमा " ईएमडी"। अंतिम चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी। | |
| एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है। | |

पवेलियन के कॉन्सेप्ट/डिजाइन के साथ लेआउट, सजावट योजना आदि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी/पेनड्राइव पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) की 3डी ईमेजस/प्रेज़ेंटेशन प्रदान करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से विभिन्न एंगल्स से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को दर्शाती हो। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा। 3डी प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिक्स आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए।

**कवर 2:**

**वित्तीय बोली:**

**कार्यक्रम का नाम और "वित्तीय बोली" (अनुलग्नक II) लिखें**

निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना:

केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित वित्तीय कोटेशन। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

| **क्र. सं.** | **गतिविधियां** | **क्रमांक 1, 2 और उससे नीचे की गतिविधियों के लिए दर प्रति वर्ग मीटर** | **राशि रु. में** |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 (I) में उल्लिखित विवरण को कवर करते हुए प्रस्तुत योजना के अनुसार थीम / कॉमन एरिया का निर्माण और साज-सज्जा। | | |
| 2 | 3(I)(क) में उल्लिखित ब्रांडिंग के अतिरिक्त उपरोक्त 3(III) में उल्लिखित विवरण को कवर करते हुए प्रस्तुत योजना के अनुसार स्टालों का निर्माण और साज-सज्जा। | | |
| 3 | उपरोक्त 3(III)(ख) के अनुसार बासमती चावल बिरयानी का गीला नमूना। | | |
| 4 | उपरोक्त 3(III) में उल्लिखित बासमती चावल बिरयानी के नमूने को छोड़कर अन्य गतिविधियाँ | | |
| | **प्रयोज्य कर** | | |
| | **कुल** | | |

**7. चयन प्रक्रिया**

एपीडा में एक समिति बोलीदाताओं की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्ट लिस्टेड बोलीदाता को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

प्रस्तुति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं:

| **क्र.सं.** | **क्षेत्र** | **स्कोर / वेटेज** |
|---|---|---|
| 1. | समग्र अवधारणा व डिज़ाइन | 30 |
| 2. | फोटो, ग्राफिक्स, आकर्षक रंग योजना आदि के संयुक्त उपयोग द्वारा खाद्य उत्पादों के एक प्रबल स्रोत के रूप में विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण चित्रण। | 20 |
| 3. | एपीडा को आवंटित फ्लोर क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम। | 10 |
| 4. | कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है: | 5 |
| | समान प्रकृति के पिछले कार्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर।<br>अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है: | 5 |

## 8. वित्तीय बोलियों को खोलना

सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1(एल1 द्वारा कोट की गई लागत )/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

## 9. अपरिहार्य घटना

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा , सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद कार्यक्रम के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

## 10. विवाचन

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) उक्त को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

## 11. भुगतान की शर्तें

सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

**11.1** व्यय प्रमाण प्रस्तुत करने पर या समान राशि की बैंक गारंटी के एवज में कुल लागत के 50% तक का अग्रिम।

**11.2** कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी (अधिकारियों) की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

एजेंसी को सामग्री और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

**12. बोलियां प्रस्तुत करना**

एजेंसी द्वारा निम्नलिखित प्रकार से एक मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोली जमा की जाएगी:

**लिफाफा I** : नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में बयाना जमा राशि-ईएमडी।

**लिफाफा II :** सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक I (तकनीकी बोली)। लिफाफे को सील और दिनांक 20 - 24 फरवरी 2023 को दुबई, यूएई में आयोजित गल्फूड 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन में तकनीकी बोली" के रूप में मुहरबंद एवं चिह्नित किया जाना चाहिए।

**लिफाफा III :** निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों व लेआउट योजना के अनुसार एपीडा पवेलियन की पूरी परियोजना के लिए सभी करों सहित भारतीय रुपये में बोली मूल्य के लिए विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-II (वित्तीय बोली)। लिफाफे को "दिनांक 20 - 24 फरवरी 2023 को दुबई, यूएई में आयोजित गल्फूड 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन में वित्तीय बोली" के रूप में चिह्नित और मुहरबंद किया जाना चाहिए।

**लिफाफा - IV** : लिफाफा I, II और III को लिफाफा - IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से मुहरबंद किया जाना चाहिए। लिफाफों (I, II, III और IV) पर बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से पूरे पते, दूरभाष: संख्या, ई-मेल के साथ लिखा जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफे (लिफाफा - IV) को "दिनांक 20 - 24 फरवरी 2023 को दुबई, यूएई में आयोजित गल्फूड 2023 के दौरान एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और नीचे दिए गए पते पर निदेशक, एपीडा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**13. कार्य-निष्पादकता आश्वासन**

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य -क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्‌वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि **4 जनवरी, 2023 शाम 5.30 बजे** तक है।

पूर्ण आवेदनों को निम्न पते पर संबोधित किया जाए:

**निदेशक**

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्‌य उत्पाद**
**निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**
**तीसरी मंजिल , एनसीयूआई बिल्डिंग , 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र , खेल गांव के सामने , अगस्त क्रांति मार्ग,**
**नई दिल्ली– 110 016**